न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 140/2018

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1शारदा पुत्री स्व. भागाराम पत्नी रामाराम जाति जाट निवासी ईनाणा हाल निवासी बलाया तहसील मुण्डवा 2कमा पुत्री स्व. भागाराम पत्नी पेखाराम जाति जाट निवासी ढाढरियाकलां तहसील डेगाना। 3चुका पुत्री स्व. भागाराम पत्नी अणदाराम जाति जाट निवासी मुन्दियाड तहसील मुण्डवा। 4गोविन्द पुत्र रामनिवास (माता स्व. परमा पुत्री स्व. भागाराम) जाति जाट निवासी रामसिया तहसील नागौर।		1अर्जुनराम पुत्र स्व. भागाराम जाति जाट निवासी ईनाणा तहसील मुण्डवा। 2पुष्पा उर्फ माया पुत्री स्व. संग्राम (माता स्व. संतोष) नाबा. कुदरती वली चाचा / काका अर्जुनराम पुत्र स्व. भागाराम जाति जाट निवासी ईनाणा तहसील मुण्डवा। 3तहसीलदार नागौर हाल मुण्डवा।

उपस्थिति :–

1. श्री कैलाश गालवा, अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री कुन्दन सिंह आचीणा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 20.2.20

{1}–अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा ग्राम ईनाणा के नामान्तरकरण सं. 921 निर्णय दिनांक 08.04.93 से असंतुष्ट होकर दिनांक 26.04.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 18.05.18 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स ने अपनी अपील के समर्थन में ग्राम ईनाणा के नामान्तरकरण सं. 921 दिनांक 08.04.93 की फोटोप्रति, मौजा ईनाणा के खसरा नं. 394/1837, 1682/1838 तथा 1702 की चालू खतौनी की फोटोप्रति, मौजा ईनाणा के खसरा नं. 1702 मे राष्ट्रीय राजमार्ग मे अवाप्त भूमि मे वास्तविक हितबद्व व्यक्ति की रिपोर्ट की फोटोप्रति तथा ग्राम पंचायत ईनाणा पं. स. मुण्डवा द्वारा जारी वारिसनामा की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 बावजूद सूचना के न्यायालय मे अनुपस्थित रहे तथा रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से श्री कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई।

{2}(I)–वकील अपीलांट ने मियाद के बिंदु पर बहस शुरू करते हुए बताया कि रेस्पोडेन्ट के समान ही अपीलांट भी स्व. भागाराम की वारिस होने के उपरांत भी रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 का उपरोक्त संपूर्ण भूमि मे 4/5 हिस्सा जबकि अपीलांट सं. 1 से 3 का मात्र 1/5 वां हिस्सा यानि 1/15 – 1/15 हिस्सा ही निहित करता आया है। उक्त हिस्सा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट की माता किशनी के फौत होने से अपीलांट के पक्ष मे दर्ज हुआ, जबकि पूर्व मे अपीलांट के पिता स्व. भागाराम के फौत होने पर फौतगी म्यूटेशन सं. 921 मे अपीलांट का नाम दर्ज नही किया। जिसकी जानकारी अपीलांट को पटवारी हल्का से अभी हाल ही मे नकले प्राप्त करने तथा उक्त नकलो मे अपीलांट का रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 से कम हिस्सा होने की जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा म्यूटेशन सं. 921 की प्रमाणित प्रति रेकर्ड से दिनांक 17.04.18 को प्राप्त करने पर प्रथम बार फौतगी म्यूटेशन मे अपीलांट का नाम नही होने की जानकारी हुई तथा अपने अधिवक्ता से संपूर्ण कानूनी सलाह लेने के बाद अपील पेश की गई। जिससे जानकारी के दिन से अपील अंदर मयाद शुमार की जाना न्यायोचित है। जिस पर राजकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अपील 32 साल पश्चात प्रस्तुत की गई है। देरी के लिये प्रत्येक दिन का कारण बताना होता है। इसलिये मियाद के बिन्दु पर अपील चलने योग्य नही है।

{2}(II)–अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश अवैध एवं हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के विपरीत है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने से पहले वादग्रस्त आराजी पर काबिल अपीलांट को न तो किसी प्रकार की सूचना दी न ही सुनवाई का अवसर दिया एवं यह जानते हुए कि स्व. भागाराम के अपीलांट भी रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के पिता तथा माता किशनी के समान ही वारिस व उतराधिकारी

अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर नागौर

है फिर भी केवल रेस्पोडेन्ट के नाम ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्वान्तो के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

{2}(IV)—वादग्रस्त उक्त खेताय अपीलांट के पुश्तेनी खेताय है जिसमे अपीलांट का भी रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के समान जन्म से ही हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार अधिकार रहता चला आया है किन्तु फिर भी तहसीलदार नागौर ने मनमाने व विधि विरूद्व ढंग से व बिना जांच किये आदेश जैर अपील पारित करने मे विधिक भूल की है। इस कारण भी नामान्तरकरण जैर अपील निरस्तनीय हैं।

{2}(V)—स्व. भागाराम के अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 उत्तराधिकारी है एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के बराबर ही अपीलांट का भी उपरोक्त खेताय मे 1/6—1/6 हिस्सा निहित करता है। जो हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 से पोषित है। उक्त विधि के अनुसार पुत्र व पुत्री को जन्म से ही बराबर हक व अधिकार प्राप्त हो जाता है जिससे भी विधि विरूद्व आदेश पारित होने से नामान्तरकरण निरस्तनीय है।

{2}(VI)—रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के पिता ने रेस्पोडेन्ट सं. 3 से मिलावट कर व राजस्व कर्मचारियो से मिलावट कर बाले बाले ही फौतगी म्यूटेशन अपने नाम करवा लिया एवं जानबूझकर अपीलांट को उसके अधिकारो से वंचित रखकर कानून का उल्लंघन किया है एवं अधीनस्थ न्यायालय का विधि विरूद्व तरीके से भरा गया म्यूटेशन सं. 921 निरस्तनीय है।

{2}(VII)—आदेश जैर अपील की आड मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 उपरोक्त वादग्रस्त खेतायो मे अकेलो का नाम होने से तथा वादग्रस्त खेत खसरा नं. 1702 मे रकबा 5.12 बीघा भूमि सडक राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सडक परिवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अवाप्त करने की एवज मे जो एवार्ड राशि पारित की है वो रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 उक्त राशि का 4/5 वां हिस्सा उठाना चाहते है तथा अपीलांट का मात्र 1/5 वां हिस्सा ही गलत इन्द्राजी के कारण दर्ज हुआ है जबकि अपीलांट भी रेस्पोडेन्ट के समान उपरोक्त समान राशि 1/6—1/6 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त गलत रूप से भरे गये नामान्तरकरण की आड मे आज दिन अपीलांट स्व. भागाराम के वारिस होने के उपरांत भी बहुत अधिक आर्थिक रूप से हानि हो रही है तथा साथ ही अन्य भूमि भी पुश्तेनी होने तथा अपीलांट का जन्म से हक व अधिकार रहता चला आया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से भरे गये नामान्तरकरण की आड मे रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि का अधिक हिस्सा प्राप्त हो रहा है जबकि अपीलांट का नाम मात्र का हिस्सा निहित करता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से भरे गये नामान्तरकरण सं. 921 को खारिज किया जाना उचित व न्याय संगत है।

{3}—वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा तर्क दिया गया कि नामान्तरकरण जैर अपील ग्राम पंचायत के वारिसान प्रमाण पत्र के आधार पर भरा गया है तथा नामान्तरकरण की कार्यवाही सरसरी तौर पर होती है। जिससे अधिकारो का निर्धारण भी नही होता है। यदि अपीलांटस के अधिकार प्रभावित होते है तो उन्हे नियमित राजस्व न्यायालय मे चाराजोही करनी चाहिये।

{4}—उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मौजा ईनाणा के खसरा नं. 394, 1038, 1682, 1701, 1702 कुल रकबा 112.01 बीघा के सहखातेदार भागाराम फौत होने पर ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र के आधार पर उसके वारिसान सगराम, अर्जुनराम पिता भागाराम व किसनी बेवा भागाराम के पक्ष मे नामान्तरकरण जैर अपील दिनांक 08.04.93 को स्वीकार किया गया है, से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांटस द्वारा यह अपील 32 साल पश्चात काफी देरीना प्रस्तुत की गई है तथा देरी का कारण भी पर्याप्त प्रतीत नही हो रहा है। आराजी भूमि पर अपीलांटस का हक हिस्सा होने की स्थिति मे उनका कब्जा काश्त भी रहा हो, ऐसा प्रकट नही हो रहा है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही होती है। जिससे किसी के स्वत्व का निर्धारण नही होता है तथा अपीलांटस का आराजी मे हक हिस्सा बनता हो तो वो नियमित न्यायालय मे कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट्स की अपील ठोस आधारो पर प्रतीत नही होती है।

{5}— उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांटस की अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर नागौर